(11)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 02/2018

राजूराम पुत्र श्री सुलतान पुत्र श्री सुरजाराम पुत्र श्री भैराराम जाति नायक निवासी 22 केएसपी अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांट

बनाम

1. विद्यादेवी पत्नी श्री श्योपतराम पुत्र श्री सुरजाराम पुत्र श्री भैरूराम
2. नरेश कुमार पिसरान श्री श्योपतराम
3. मुकेश कुमार
4. रामप्यारी पत्नी श्री ताराराम
5. भालाराम पिसरान श्री ताराराम
6. कालूराम
7. सूर्यादेवी पत्नी श्री ताराराम अकवाम नायक निवासीगण अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
8. सावित्री देवी (फौत)
   8/1 माडूराम पुत्र श्री कानाराम (फौत)
   8/1/1 रोशनी पत्नी स्व० श्री माबूराम
   8/1/2 सोनू पुत्र स्व० श्री माडूराम
   8/1/3 जयपाल पुत्र स्व० श्री माडूराम
   8/1/4 फौजी पुत्र स्व० श्री माडूराम
   8/2 लालचंद पिसरान श्री कानाराम
   8/3 कालूराम पिसरान श्री कानाराम 8/4 बाबूलाल अकवाम नायक निवासीगण फतेहगढ़ गोदारा बास. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. शांतिदेवी पुत्री श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. संतरोदेवी (फौत)।
    10/1 धर्मवीर पुत्र छोटूराम (माता स्व० श्रीमति संतरो)
    10/2 श्रवण पुत्र श्री छोटूराम (माता स्व० श्रीमति संतरो)
    10/3 सलोचना पुत्री श्री छोटूराम (माता स्व० श्रीमति संतरो)
    10/4 रानी पुत्री श्री छोटूराम (माता स्व० श्रीमति संतरो) जाति नायक, निवासीगण वार्ड नंबर 1 लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
11. विमला देवी पुत्री सुरजाराम जाति नायक निवासी अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. साहबराम
13. रामप्रताप पिसरान श्री सुरजाराम जाति नायक निवासीगण अराईयांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. तहसीलदार (राजस्व) तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेंटान

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.07.2015 न्यायालय तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ, जिसकी रूह से अपीलान्ट के दादा के नाम की कृषि भुमि का अमलदरामद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 के नाम दर्ज किया गया, बमुराद मंसुखी उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने उक्त अपील

उपस्थितः—1. श्री भवानी सिंह निर्वाण अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

–:निर्णय:– दिनांक: –08.05.2026

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट के दादा सुरजाराम पुत्र भैराराम के नाम से चक नम्बर 3 ए.आर. डब्ल्यू, जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या 79 के पत्थर नम्बर 101/388 मुरबा नम्बर 38 किला नम्बर 1/2 में 0. 126, 2 ता 9 सालम, 10/2 में 0.127, 11/2 में 0.126, 12 ता 15 सालम तादादी 3.415 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 102/338 मुरबा नम्बर 39 किला नम्बर 1 ता 15 तादादी 2.783 हैक्टेयर कुल 6.198 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में दर्ज कागजात माल थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 के पूर्वज सुरजाराम पुत्र भुराराम जो कि अराईयावाली के निवासी है। सुरजाराम पुत्र भुराराम के नाम चक नम्बर 23 के.एस.पी. में खाता संख्या 37 जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में 2.530 हैक्टेयर भुमि दर्ज रिकार्ड थी। चक नम्बर 23 के.एस.पी. ई.न. 439 दिनाक 05.06. 2015 से सुरजाराम पुत्र श्री भुराराम के फौत होने पर उनके सही वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 13 के नाम नामान्तरण दर्ज हुआ। अपीलान्ट के द्वारा सुरजाराम पुत्र भैराराम के नाम चक नम्बर 3 ए.आर.डब्लयू में खाता सख्या 79 सम्वत 2069 से 2072 की जमाबन्दी मं 6.198 हैक्टेयर भुमि दर्ज रिकार्ड थी। रेस्पोडेंट 1 ता 13 के पूर्वज सुरजाराम पुत्र श्री भुराराम जाति नायक निवासी अराईयांवाली था तथा अपीलान्ट के दादा का नाम सुरजाराम पुत्र भैराराम जाति नायक निवासी अराईयांवाली था, दोनों के नाम, जाति व निवास समान होने से तथा दोनों चकों के खातेदार फौत होने के से सुरजाराम पुत्र भूराराम के वारिसान द्वारा वरवक्त राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार 2015 वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करने कार्यवाही प्रारम्भ की गई। चक नम्बर 3 ए.आर.डब्ल्यू में खाता संख्या 79 में सुरजाराम पुत्र भैराराम जाति नायक निवासी अराईयांवाली के सही वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज न करके अन्य खातेदार सुरजाराम पुत्र भूराराम के वारिसान (रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 13) के नाम नामान्तरण संख्या 437 दिनांक 15.07.2017 राजस्व अभियान कैम्प किशनपुरा दिखनादा में स्वीकृत किया गया जो कतई विधी विरूद्ध रिकार्ड व मौका की स्थिति का ध्यान व अवलोकन किये बिना पारित किया गया। सुरजाराम पुत्र भुराराम के देहान्त होने के पश्चात उनके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 द्वारा राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। चूंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट परस्पर एक ही गांव के निवासी हैं तथा अपीलान्ट के दादा व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज एक ही नाम होने के कारण अपीलान्ट के दादा स्वर्गीय सुरजाराम पुत्र भैराराम के नाम की कृषि भुमि का भी अमलदरामद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 ने अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा ली। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/2015 कतई गलत एवं विधि विरूद्ध रूप से रिकार्ड व मौका की स्थिति का ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय राजस्व अभिलेख की स्थिति का किसी प्रकार से अवलोकन नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ता 13 द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा सुरजाराम पुत्र भुराराम का था, जिसमें केवल सुरजाराम पुत्र भुरामराम के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख की कृषि भुमि का ही नामान्तरण दर्ज किया जाना चाहिए था, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 14 व इनके अधीनस्थ कार्यरत हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के दादा सुरजाराम पुत्र भैराराम के नाम की कृषि भुमि का अमलदरामद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 के पक्ष में कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 13 द्वारा उक्त इन्तकाल आदेश पारित करते समय अपीलान्ट अथवा सुरजाराम पुत्र भैराराम के किसी भी वारिस का सुचना नहीं दी व ना ही किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक नोटिस जारी कियां। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 14 के साथ मिलीभक्त कर कतई गलत एंव मिथ्या रूप से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। जबकि सुरजाराम पुत्र भैराराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कृषि भुमि में रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ता 13 का किसी प्रकार का कोई हक वा हिस्सा नहीं है ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 सुरजाराम पुत्र भैराराम के विधि वारिसान उक्त आधार पर भी यह अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जोन योग्य है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कभी कोई जानकारी नहीं हुई व ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 14 द्वारा उक्त आदेश की कोई सुचना अपीलान्ट को प्रेषित की गई। अपीलाधीन निर्णय में वर्णित कृषि भुमि जो कि अपीलान्ट के दादा के नाम ही चली आ रही थी। अब अपीलान्ट द्वारा उक्त कृषि भुमि को अपने एवं सुरजाराम पुत्र भैराराम अन्य वारिसान के नाम दर्ज करवाने हेतू दिनांक 28.12.2017 को तहसील हनुमानगढ़ से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ। जिस

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

हेतू अपीलान्ट पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना प्रस्तुत कर हा है तथा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय अपीलान्ट को किसी प्रकार से कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया व ना ही कोई सूचना अपीलान्ट को दी गई। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.07.2015 को अपास्त फरमाया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 01 ता 13 अनुपस्थित। रेस्पो. सं. 14 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.07.2015 को अपास्त फरमाया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.07.2015 संहवन से दर्ज हुआ है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत कर धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें चुनौतीधीन निर्णय व आदेश की जानकारी अपील प्रस्तुत करने से 06 दिन पूर्व ही होना बताया है। अपीलांट ने विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पर विचार किया गया। प्रश्नगत भूमि पूर्व में अपीलाण्ट के पूर्वजों के नाम दर्ज थी इसलिए उक्त विवादित भूमि में अपीलांट्स को प्रभावित पक्षकार होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट अंतर्गत धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ़ द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प किशनपुरा दिखनादा 18.05.2015 से 15.07.2015 के दौरान चक 3 ए.आर. डब्ल्यू पटवार हल्का अराईयावाली के खाता संख्या 79 में सुरजाराम पुत्र भैराराम के नाम दर्ज अनकमाण्ड प्री–55 की 6.198 हैक्टेयर भूमि को सुरजाराम फौत होने पर मृत्यु एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर विरास्तन दर्ज किया गया है।
2. पत्रावली में अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कार्यालय ग्राम पंचायत अराईयांवाली के कमांक 20 दिनांक 05.10.2017 से जारी वारिस प्रमाण पत्र अनुसार सुरजाराम पुत्र भैराराम के वारिस नामांतरकरण संख्या 437 दिनांक 15.07.2015 में अंकित वारिस भिन्न– भिन्न है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नामांतरकरण आदेश से पूर्व तहसीलदार द्वारा गहन जांच नहीं की गई।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ द्वारा जारी नामांतरकरण संख्या 437 दिनांक 15.07.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़